संख्या-34/2015/709/59-2-2015-24(खा)/2009

प्रेषक,

निर्मला श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,
उ0प्र0 लखनऊ।

खादी तथा ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 01 अक्टूबर, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में विपणन विकास सहायता कार्यक्रम योजना (एस0सी0एस0पी0) के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी,उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्या-389/खा0ग्रो0बो0/बजट/प्रचार अनु0/2015-16, दिनांक 13-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 2,37,50,000.00 (रूपये दो करोड सैतीस लाख पचास हजार मात्र) में से प्रथम किश्त धनराशि रू0 1,18,75,000.00 (रूपये एक करोड अट्ठारह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015, एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानको व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि आहरण कर बैंक अथवा पोस्ट आफिस में नही रखा जायेगा तथा तात्कालिक आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण ही किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के व्यय का नियमानुसार प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध् कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं उसके व्यय/उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में योजना की गाईड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग/व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

7- स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही व्यय की जायेगी। किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में विभागाध्यक्ष स्वंय उत्तरदायी होगें।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष् 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-08-विपणन विकास सहायता कार्यक्रम-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या- 07/26-ब0प्र0-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव

संख्या-34/2015/709(1)/59-2-2015-24(खा)/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-3
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 126, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
10- एन0आई0सी0/गार्ड फाइल

आज्ञा से,

N. Sri

(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in